भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1057

जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026/2 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

नैनो-उर्वरक के माध्यम से रोजगार

1057. श्री अजेन्द्र सिंह लोधी:
श्री लालजी वर्मा:
श्रीमती रुचि वीरा:
श्री नीरज मौर्य:
श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में नैनो-उर्वरक उत्पादन संयंत्रों और स्थानीय जैविक उर्वरक उत्पादन इकाइयों की स्थापना के माध्यम से अब तक रोजगार पाने वाले स्थानीय शिक्षित युवाओं की जिला-वार, विशेषकर महोबा, बांदा और हमीरपुर में, संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त जिलों के किसानों को राजसहायता वाले पारंपरिक उर्वरकों, जैसे यूरिया और डाइअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की कालाबाजारी तथा प्रशासनिक कमियों के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार के पास नैनो-उर्वरकों के अनुप्रयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) और अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों के संचालन के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने की कोई व्यापक योजना है; और

(घ) क्या सरकार ने मृदा उर्वरता की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय हेतु चलाए जा रहे उक्त अभियान के दीर्घकालिक सततता के स्तर का आकलन करने हेतु कोई स्वतंत्र जांच कराई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क): इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉपरेटिव (इफको) ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के फूलपुर (जिला-प्रयागराज) में नैनो उर्वरक उत्पादन संयंत्र में 81 स्थानीय शिक्षित युवाओं और आंवला (जिला - बरेली) में नैनो उर्वरक उत्पादन संयंत्र में 102 स्थानीय शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। कृभको ने सूचित किया है कि वाराणसी में उसके बायो-उर्वरक संयंत्र में 17 कर्मचारी कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित किण्वित जैविक खाद (एफओएम)/तरल किण्वित जैविक खाद (एलएफओएम) का उत्पादन करने वाले संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) संयंत्रों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में सीबीजी संयंत्रों द्वारा प्रदान किए गए स्थानीय रोजगार का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख): उत्तर प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) कृषि एवं **किसान** कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति स्कीम जारी करके राज्यों को उर्वरकों का यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;

(iv) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरकों को भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(v) राज्य के भीतर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य में चल रहे खरीफ 2026 मौसम (01.04.2026 से 19.07.2026 तक) के दौरान उर्वरकों अर्थात यूरिया और डीएपी की उपलब्धता पर्याप्त रही है। उक्त अवधि के दौरान राज्य में यूरिया और डीएपी की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

आंकड़े एलएमटी में

क्र.सं.	उत्पाद	मांग	उपलब्धता	बिक्री	19.07.2026 की स्थिति के अनुसार अंतिम स्टाक
1	**यूरिया**	22.71	32.90	16.69	16.21
2	**डीएपी**	4.78	8.45	3.33	5.12

उर्वरक संबंधी जमाखोरी, विपथन और कालाबाजारी जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारों को उक्त कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन कदाचारों के संबंध में उर्वरक विभाग स्तर पर प्राप्त होने वाली कोई भी शिकायत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) राज्य सरकार के साथ परामर्श करके कालाबाजारी, जमाखोरी, घटिया उर्वरक पाए जाने और विपथन संबंधी मामलों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई की साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में, 01.04.2026 से 17.07.2026 तक 9687 छापे मारे गए हैं जिनमें से चूककर्ताओं के खिलाफ 1083 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 548 लाइसेंस निलंबित/रद्द कर दिए गए हैं और 38 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि महोबा, बांदा और हमीरपुर जिलों से उर्वरकों की कालाबाजारी के कारण होने वाली व्यापक कठिनाइयों की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) ने बताया कि नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में ड्रोन पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण, ड्रोन को उड़ाने के लिए तैयार करना, छोटी मरम्मत और रखरखाव और कीटनाशकों और तरल उर्वरकों के छिड़काव के लिए ड्रोन को संभालने के लिए व्यावहारिक अभ्यास शामिल है। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) और प्रमुख उर्वरक कंपनियों (एलएफसी) के विशेषज्ञ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा लाई गई मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार ड्रोन दीदियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। एसओपी में उड़ान गति, उड़ान ऊंचाई, उड़ान के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों, उपयोग किए जाने वाले फॉर्मूलेशन, नोजल चयन, पालन किए जाने वाले सुरक्षा और सावधानियों और पालन किए जाने वाले 'क्या करें और क्या न करें' को रेखांकित किया गया है। ये प्रशिक्षण नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अनुमोदित रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (आरपीटीओ) में आयोजित किए जाते हैं, जिनकी वर्तमान संख्या देश भर में 274 है। नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत, प्रमुख उर्वरक कंपनियों द्वारा चयनित एसएचजी को 1098 ड्रोन की आपूर्ति की गई है और प्रत्येक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के एक सदस्य को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट (एफएमटीटीआई), जो बुदनी (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा) और विश्वनाथ चरियाली (असम) में स्थित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्यालय हैं तथा डीजीसीए-अनुमोदित आरपीटीओ हैं जो ड्रोन पर प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। अब तक इन संस्थानों ने 155 ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षित किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वे जागरूकता कार्यक्रमों, प्रदर्शनों और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से ड्रोन और अन्य आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसएलएम) के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित किया जा रहा है, और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ड्रोन प्रदान किए जा रहे हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने सूचित किया कि आईसीएआर-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान (आईसीएआर-आईआईएसडब्ल्यूसी), देहरादून ने ड्रोन आधारित नैनो उर्वरकों के कृषि अनुप्रयोगों सहित ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण देने के लिए डीजीसीए-प्रमाणित रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (आरपीटीओ) की स्थापना की है। कार्यक्रम का उद्देश्य फसल निगरानी और अन्य आधुनिक कृषि पद्धतियों जैसी सटीक कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए स्थानीय युवाओं सहित कुशल मानव संसाधन विकसित करना है। अक्टूबर 2024 से, संस्थान ने ड्रोन संचालन और संबंधित अनुप्रयोगों में 77 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है।

(घ): सरकार ने मिट्टी की उर्वरता और किसानों की आय पर इसके प्रभाव के संबंध में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने के अभियान की दीर्घकालिक संधारणीयता का आकलन करने के लिए विशेष रूप से कोई स्वतंत्र जांच नहीं की है।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 24.07.2026 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1057 के भाग (क) के उत्तर से संबंधित है।

उत्तर प्रदेश राज्य में सीबीजी संयंत्रों द्वारा रोजगार का जिला-वार विवरण		
क्र.सं..	**जिले का नाम**	**रोजगार पाने वाले स्थानीय शिक्षित युवाओं की संख्या**
1	आगरा	3
2	अमेठी	245
3	बलरामपुर	8
4	बाराबंकी	9
5	बरेली	5
6	बुलन्दशहर	9
7	चंदौली	20
8	गौतमबुद्धनगर	7
9	गोरखपुर	93
10	हापुड	18
11	हरदोई	20
12	कानपुर देहात	4
13	कुंभी	8
14	लखीमपुर खीरी	20
15	मथुरा	36
16	मेरठ	18
17	मुजफ्फरनगर	50
18	प्रयागराज	12
19	सहारनपुर	49
	कुल	**634**